



भाजपा ने आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री थिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रपत
daksinhibharat.com

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने मंगलवार को आबकारी विभाग में रिश्वतखोरी, तबादलों के रैकेट और व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस संबंध में भाजपा ने आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर के इस्तीफा की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, आबकारी विभाग में लाइसेंस जारी करने और तबादलों में मदद के लिए रिश्वत ली जा रही है। इससे संबंधित आँडियो रिकॉडिंग जारी की गई हैं और लोकायुक्त के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसलिए, आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य का आबकारी विभाग भ्रष्टाचार में सस्से आगे है। यीबी-जी राम जी योजना का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता महान्ना गांधी के आदर्शों की बात कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस स्वयं गांधीजी के आदर्शों का पालन नहीं कर रही है।

अशोक ने कहा, सरकारी अधिकारियों के द्वाहसूप संदेश में आधिकारिक तौर पर निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हुबली में आवास विभाग के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसलिए अधिक लोग आएं, इसलिए शराब की दुकानों में पर्याप्त नाम में शराब का स्टॉक करके उसे बेचा जाना चाहिए। इससे पर बर्बाद हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं। लोगों को शराब पीने के लिए कहना उनकी संवेदनशीलता की पचनान है। उन्होंने कहा, मंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि मासिक शुल्क आबकारी विभाग में चल रहे घोटाले में शामिल अधिकारियों से आता है। शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष गुरुस्वामी ने एक विज्ञापन जारी कर कहा है कि वे अनियमितताओं के बारे में राहुल गांधी से शिकायत करेंगे।

उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि गुरुस्वामी ने बताया है कि 2,000 शराब की दुकानों को अनुमति दी गई है और 50 लाख रूपए से लेकर 1 करोड़ रूपए तक की रिश्वत ली गई है। हर महीने की 10 तारीख तक रिश्वत न देने पर दुकान मालिकों को परेशान किया जाता है। गुरुस्वामी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। गुरुस्वामी की शिकायत के बावजूद सिद्धरामय्या ने कोई मदद नहीं की। सिद्धरामय्या अब मजबूत मुख्यमंत्री नहीं रहे।

अशोक ने आरोप लगाते हुए कहा, आबकारी विभाग घोटाले से संबंधित एक आँडियो सामने आया है। इसमें आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर और उनके बेटे पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, मंत्री का कहना है कि यह आँडियो उन्होंने नहीं बनाया है। कुल मिलाकर, शराब की आपूर्ति करने वाली 14,229 दुकानें हैं। लेकिन राज्य में इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं। प्रत्येक दुकान से हर महीने 15,000 से 20,000

रुपए की रिश्वत ली जाती है। इसका मतलब है कि औसतन 25 करोड़ रूपए प्रति माह और 2.1 करोड़ रूपए प्रति वर्ष लिए जाते हैं।

उन्होंने दायी दायी किया कि आबकारी विभाग में तबादलों के लिए भ्रष्टाश्रित तय है। उपचारकों के तबादलों के लिए 2.5 से 3.5 करोड़ रूपए, अधीक्षकों के लिए 25 से 30 लाख रूपए, उप अधीक्षकों के लिए 30 से 40 लाख रूपए, आबकारी निरीक्षकों के लिए 40 से 50 लाख रूपए और कार्टेबलों के लिए 5 से 8 लाख रूपए का भुगतान करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, जब नागेश भाजपा सरकार में मंत्री थे, तब उन पर तबादलों के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब केएस ईश्वरप्पा पर आरोप लगे, तब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इतनी रिश्वतखोरी का पर्दाफाश होने के बावजूद मंत्री थिम्मापुर ने इस्तीफा नहीं दिया।

सुबह की सैर के समय महिला पर राँटवीलर कुत्ते ने हमला किया

बेंगलूर। बेंगलूर में सुबह टहलने निकली 31 वर्षीय एक महिला पर रॉटवीलर नरल के कुत्ते ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसके मालिक को खिलफा मामला दर्ज किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस हमले में महिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला की लाशभग आठ घंटे लंबी सर्जरी की गई।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 26 जनवरी को तब हुई जब एम्फायरस लेआउट के टीएससी कॉलोनी में रहने वाली शांतिनी देवी सुहाव अपने घर के पास टहलने के लिए निकली थीं। उससे बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज में कूते को सड़क पर नीला काले ओवरकोट हुए, उसने गिराते ओवरकोट के चक्करे व गर्दन पर बार-बार काटते हुए आया गया। महिला के परिवार ने देखाने लगाया कि कुत्ते के मालिक ने उसे बिना पट्टे के सड़क पर खुला छोड़ दिया था। कुत्ते के मृत्यु पर स्थानीय प्रकाश को कोई कवर भी नहीं लगा था।

शालिनी के पति सत्य प्रकाश दुबे ने बताया कि इस हमले में शालिनी को चेहरे, गले और सिर पर गहरी चोटें आईं और उन्हें 80 से अधिक टांके लगे हैं। उनकी सर्जरीराल में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रकाश ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी को सुबह 6.50 बजे जमाना शालिनी टहल कर वापस आ रही थी, तब यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि अगर मालिक इतने बड़े कुत्ते को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसे कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सड़क नियंत्रण का कानून लागू होना चाहिए।

कुत्ते को पट्टा व मुखौटा पहनाना कुरखाने सुचना मालिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया, मेरी पत्नी गहरे सदमे में हैं। डॉक्टरों के अनुसार, उनके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान उभर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, शिकायत के बाद कुत्ते के मालिक को अमरेश रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।



कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की बहाली के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
daksinbharat.com

बैंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से नए ग्रामीण रोजगार कानून 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम को तुरंत रद्द करने और संयुक्त प्रतिपक्षीय गठबंधन (संग्राम) काल की मनरेगा योजना को उसके मूल रूप में बहाल करने का आग्रह किया गया। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा ने इसका कुछ विरोध किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र द्वारा एकतरफा ढंग से लागू किया गया 'वीबी-जी राम जी अधिनियम' संघवाद के मूल आदर्शों और ग्रामीण लोगों की आजीविका के अधिकार के लिए हानिकारक है।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा, कर्नाटक के ग्रामीण लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए, यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह तुरंत 'वीबी-जी राम जी अधिनियम' को रद्द करे, जो संघीय सिद्धांत के खिलाफ है, राज्य के खजाने पर एक गंभीर बोझ है और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। इसने (वीबी-जी राम जी अधिनियम) ग्राम पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को छीन लिया है; तथा केंद्र महान्या ग्रांथी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को उसके मूल रूप में बहाल करे, जिससे ग्रामीण संपत्ति का निर्माण हुआ है और गरीबों में आत्मनिर्भरता आई है।

यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय लोकतंत्र की नींव पंचायती राज प्रणाली और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के प्रति विधानसभा अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराती है, उन्होंने कहा, यह सदन मनरेगा को खत्म करने को गंभीरता से लेता है, जो ग्रामीण गरीबों के लिए एक संजीवनी थी और ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग था। इसमें कहा गया, यह सदन केंद्र के इस कदम (मनरेगा को खत्म करके वीबी-जी-राम जी अधिनियम लागू) का कड़ा विरोध करता है। नतीजा प्रतिक्रिया आर. अशोक के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह मत कहिए कि सदन इसका कड़ा विरोध करता है, कहिए कि सरकार विरोध करती है। हमें इसमें शामिल मत कीजिए। हालांकि, मुख्यमंत्री प्रस्ताव पढ़ते रहे और कहा कि विपक्षी सदस्य अपनी प्रारंभिक चर्चा के दौरान अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। इससे विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी की। इस पर, मुख्यमंत्री ने सत्ताधारी कांग्रेस सदस्यों से प्रतिक्रिया देने को कहा, जिससे सदन में हेमामा हो गया। इसके बाद, अध्यक्ष यू टी खादर ने सदन की कार्यवाही दोपहर भोज तक के लिए स्थगित कर दी।



सिद्धरामय्या ने अधिकारियों को कन्नड़ फिल्म 'लैंडलॉर्ड' को कर छुट देने का निर्देश दिया

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने मंगलवार को संबलित अधिकांशों को हाल ही में रिलीज हुई कमाफिल्म 'लेडर्स' को क्रय छूट देने का निर्देश दिया और कहा कि यह फिल्म सामाजिक असमानता और जाति-आधारित शोषण के विषयों पर आधारित है।

सोशल मीडिया पर व्याप्त 'एक्स' पर एक पोस्ट में

असमानता और जाति-आधारित शोषण के विषयों पर आधारित हिंदी फिल्म 'लेडर्स' को क्रय छूट देने का निर्देश दिया है। फिल्म में अनेक जाति असमानता, जनमत को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन लाने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि यह निर्णय आने वाले दिनों में सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली 'लैंडलॉर्ड' जैसी और अधिक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, 'मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सामाजिक उन्होंने कहा, जब फिल्में सामाजिक मुद्दों को उठाती तो सरकार के रूप में ऐसे प्रयासों का समर्थन करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। कड़क फिल्म 'लैंडलॉर्ड' गत 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।



भाजपा ने कांग्रेस के एमएलसी के निलंबन की मांग को लेकर सभापति को याचिका दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु। कर्नाटक में विपक्षी बहल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधान परिषद के सभीपति बसवराज होस्टी की राधिका देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (म्पलूरसी) नसीर अहमद को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। अहमद मुख्यमंत्री के विधानीतिक सचिव भी हैं। परिषद में वेपक्ष के नेता चलवाडी गारायणरस्वामी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गोमवार को दिन भर के लिए सदन स्थगित होने के बाद होस्टी से मुलाकात कर उन्हें शिकायत सौंपी। गारायणरस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कहते हैं कि 'एक्स' पर लिखा, कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राजनीति के सबसे निचले स्तर का उदाहरण है। उन्होंने कहा, सोमवार (दो फरवरी) को सभापति को एक शिकायत सौंपी गई जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान निम्नतम स्तर के अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए नसीर अहमद को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की गई। विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन की गरिमा एवं संसदीय मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है और यह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा, यह व्यवहार लोकतंत्र के आदर्शों के खिलाफ है और यह अपीत की गई है कि गैर-जिम्मेदारता बयान देने वाले सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब जवाब दे रहे थे तभी विपक्ष एवं सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच तीव्री नोकझोंक के दौरान अहमद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से कुछ टिप्पणियाँ कीं। हालांकि सभापति ने विधान परिषदबदल प्रस्ताव के सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही से हटा दिया था लेकिन भाजपा के सदस्यों ने अहमद से माफी मांगने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आकर विरोध प्रदर्शन किया। अहमद के माफी नहीं मांगने और भाजपा के विरोध जारी रखने के कारण सभापति ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और शोर-शराबे के बीच इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन को दिन भरालोक के लिए स्थगित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 31 जनवरी को रात लगभग नौ बजकर 40 मिनट पर उसका 15

रियल एस्टेट कारोबार में जांच एसआईटी का आधार पर होगी कानूनी

की मौत की जांच कर रहा विशेष
जांच दल
(एसआईटी)
मृतक के परिजन
एवं अन्य लोगों के
बयान दर्ज करेगा
तथा जांच रिपोर्ट
के आधार पर

**अपार्टमेंट के सातवें तल से गिरकर
किशोर की मौत : पब मालिक,
कर्मचारियों पर मामला दर्ज**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। बेंगलूर में 15 वर्षीय लड़के की एक अपार्टमेंट की सार्वजनिक सड़क से गिरकर मौत के मामले से उसने (लड़के के माता) कथित रूप से शराब परोसने को लेकर एक पत्र के मालिक और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना 31 जनवरी की रात को डॉ. विष्णुवर्धन रोड पर स्थित एक अपार्टमेंट में हुई। पुलिस ने बताया कि लड़के के पिता की शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है।

पुलिस के अनुसार, कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तहत मामला दर्ज किया गया 31 जनवरी को रात लगभग नौ है तथा जांच की जा रही है। बजकर 40 मिनट पर उसका 15

रियल एस्टेट कारोबारी की मौत की जांच एसआईटी कर रही, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई : परमेश्वर

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि 'कोविड-19 समूह' के संस्थापक एवं अध्यक्ष सी. जे. राय को मौत की जांच कर रहा विशेष जांच दल (एसआईटी) मृतक के परिजन एवं अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर

भाग का कराइया तय की जाएगी।
कनरल के मूल निवासी रॉय ने 30 जनवरी को अपने परिसर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कथित तौर पर आलसहारी लक्ष्मी लथी। परमेश्वर ने रॉय की गौत की जांच को लेकर एक सवाल क जवाब में पत्रकारों से कहा, 'संसारआईने ने जांच शुरू कर दी है।' वह परिजन एवं अन्य लोगों के सहायन दर्ज करेगी और देखेगी कि क्या सामने आता है। आयकर विभाग के कारण रॉय के पेशेन होने संबंधी उनके परिवार के दावे क बारे में पूछे जाते पर परमेश्वर ने कहा, 'जांच पूरी होने के बाद ही

मो बातें सामने आंगीं। जांच से
लेते हम यह नहीं बता सकते
कि क्या वया बचाव रही है। केरल
के अध्यक्ष मिनाई विजयन ने रॉय
मौत के मामले की न्यायिक
क्रिया करने का अनुबंध करते हुए
द्वितीय विजय नीली मिर्मला सीतारमण
न पार लिखा है। प्रमेश्वर ने इस
के बारे में कहा, मुझे पता है कि
होने (विजयन ने) पार लिखा है।
किन मुझे इसकी विश्ववस्तु नहीं
पता। इंजीनार करते हैं और देखते
कि ये क्या तय करते हैं। आयरक
रामान मिर्मला सीतारमण के
तर्गत आता है। वह न्यायिक
या किसी अन्य प्रकार के
दावेदारी या नहीं, हमें नहीं पता।
होने रहा, राज्य स्तर पर हमने
संशयों का गठन किया है।
होने की शुरु कर रहे हैं और
मौत के आधार पर हम निर्णय
नहीं। रॉय की मौत के संबंध में
शोक नगर पुलिस थाने में
स्वाभाविक मृत्यु की रिपोर्ट
आएगी (एन) दली की गई है। रिपोर्ट
है सी. जे. बाबू ने दावा किया है
आयरक विभागी की कार्यवाही
कारण रॉय परेशान थे।



भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
लिकविड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी)
निर्माण एवं रखरखाव प्रभाग,
80/फ़ीट रोड, एचएएल खख स्ट्रेज, बेंगलूर, फ़ोन नंबर: 080-25037203 / 080-25037214



दिनांक : 02.02.2026

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नांकित कार्यो के लिए मद्-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम एवं एनआईटी नं. एवं दिनांक	निविदा की अनुमानित लागत	ईएम्पडी	पूरा करने की अवधि
1	पुरानी ईबीडब्ल्यू सुविधा, एलपीएससी(बी) परिसर, बेंगलूर में एसी सिस्टम का नवीनीकरण निविदा क्र. : LPSC(B)/CMD/02/2037/AC/MI/031/2025-26 दिनांक : 02.02.2026	रु.19.23 लाख	रु.38,460/-	02 माह
2	एलपीएससी(बी) परिसर, बेंगलूर में गगनयान में मटीरियल स्टोर के लिए मौजूदा फोर्जिंग शेड का विस्तार निविदा क्र. : LPSC(B)/CMD/02/2038/C/MI/032/2025-26 दिनांक : 02.02.2026	रु.19.48 लाख	रु.38,960/-	02 माह
3	एलपीएससी(बी) परिसर, तुमकुरु में डीजी सिस्टम लोकेशन एरिया में साइट डेवलपमेंट का कार्य। निविदा क्र. LPSC(B)/CMD/02/2035/C/Re-tender/MI/033/2025-26 दिनांक : 02.02.2026	रु.14.77 लाख	रु.29,540/-	45 दिन
4	एलपीएससी(बी) परिसर, बेंगलूर / तुमकुरु में अलग-अलग फेसिलिटी के लिए एन बोर्ड / डिस्ने बोर्ड / साइनाबोर्ड लगाना। निविदा क्र. : LPSC(B)/CMD/03/3018/C/MI/035/2025-26 दिनांक : 02.02.2026	रु.6.14 लाख	रु.12,280/-	12 माह

निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	03.02.2026 के 18.30 बजे से 13.02.2026 के 23.59 बजे तक
बोली स्पष्टीकरण	03.02.2026 के 20.00 बजे से 16.02.2026 के 10.00 बजे तक
बोली स्पष्टीकरण का जवाब देने की अंतिम तारीख	17.02.2026 के 17.00 बजे तक
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	18.02.2026 के 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	18.02.2026 के 11.30 बजे

इच्छुक निविदाकर्ता कृपया www.tenderwizard.com/ISRO देखें और साथ ही, प्राप्ता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए विस्तृत टेंडर आमंत्रण नोटिस (छब्बद) देखें, जिसे वेबसाइट www.isro.gov.in, www.lpsc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

समूह प्रमुख - निर्माण एवं रखरखाव समूह-एलपीएससी(बी)

